सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण/वादीगण	बनाम	विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण
जगमालराम पुत्र पांचाराम जाति मेघवाल, निवासी मतुओं की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (02)		शंकरराम पुत्र पुंजाराम जाति मेघवाल, निवासी मतुओं की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (07)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (212) **मुकदमा नम्बर** 156/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.08.2022	प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा मतुओं की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 111/26 रकबा 6.4426 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त आराजी के सेढासेढ ही विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 115/26 रकबा 12.8852 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण का आज दिनांक तक अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को अपनी बताकर उसमें अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर टयुबवेल का निर्माण कर अवैध रूप से कब्जा करने पर आमादा है। जिसका विप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के रेकर्डेड खातेदार होने एवं मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी से सीमाज्ञान भी करवाया गया, लेकिन विप्रार्थीगण सीमाज्ञान को मानने से इंकार कर रहे है। विप्रार्थीगण यदि अनाधिकृत रूप से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत में प्रवेश कर टयुबवेल का निर्माण करने में कामयाब हो जाते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि से महरूम होना पड़ेगा तथा साथ ही प्रार्थीगण के अधिकारों पर कुठाराघात होगा अतः समस्त परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने से श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित आराजी में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप व दखलंदाजी नहीं करने, प्रार्थीगण द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान की सीमा में किसी प्रकार कर निर्माण कार्य नहीं करने, टयूबवेल का निर्माण कर कब्जा नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं रेकर्ड की यथारिथति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निम्न प्रकार है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथपत्र या अन्य प्रकार से यह सिद्ध हो जाये कि :– (क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे में उक्त वाद या कार्यवाही है, तत्संबद्ध किसी पक्षकार द्वारा दुरुपयोग किया जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परकीकरण किये जाने (Alienated) के खतरे में है, या (ख) उक्त वाद या कार्यवाही, के संबद्ध में कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्य को सफल नहीं होने देने के अभिप्राय से उस संपत्ति को हटाने या उसका व्ययन (Disposal) करने की धमकी देता है या विचार रखता है :– तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी कर सकता है .... हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की सीमाज्ञान करवाई हुई भूमि में प्रवेश कर टयूबवेल का निर्माण कार्य किया जाता है या दखलदांजी की जाती है या प्रार्थीगण को उनके कब्जा काश्त से बेदखल किया	

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होने से इंकार नहीं किया जा सकता तथा इससे प्रार्थीगण को अपने विधिक अधिकारों से भी महरूम रहना पड़ेगा। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आरजी/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा मतुओ की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 111/26 रकबा 6.4426 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित आराजी में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप व दखलंदाजी नहीं करने, प्रार्थीगण द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान की सीमा में किसी प्रकार कर निर्माण कार्य नहीं करने, टयूबवेल का निर्माण कर कब्जा नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई स्थगन आदेश विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी किया जाता है।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के नोटिसों का इन्तजाम होकर आइन्दा दिनांक 12.09.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव
सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

12.9.22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 19.10.22 को पेश हो।

19.10.22 [illegible] अधिवक्ता [illegible] द्वारा पत्रावली तारीख पेशी पेर लेने के प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थना पत्र की प्रति [illegible] अधिवक्ता को दिलवाई गई। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 21.10.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

21.10.22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी [illegible] होकर पत्रावली पूर्व [illegible] आइन्दा दिनांक 2.11.22 को पेश हो।

2.11.22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 11.11.22 को पेश हो।

11.11.22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में [illegible] के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 18.11.22 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.4.26	पत्रावली पेश। वाकुलाय उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 13.5.26 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
13.05.26	पत्रावली पेश। वाकुलाय उपस्थित। पत्रावली में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कृषि ट्यूबवेल का निर्माण कर अवैध रूप से कब्जा करने पर आमादा होने से माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के आवेदन को अंतरिम रूप से स्वीकार कर निषेधाज्ञा जारी कर रखी है। प्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकर्डड खातेदार होने तथा काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में किये जा रहे विधि विरुद्ध कब्जे को रुकवाने के अधिकारी है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखते हुए तौफसला वाद कायम किया जावे। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 115/26 व प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 111/26 संलग्न आई हुई है। विप्रार्थीगण की खातेदारी का रकबा प्रार्थीगण की खातेदारी से दुगुना है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय से एकपक्षीय स्थगन प्राप्त सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

कर उक्त स्थगन की आड़ में विप्रार्थीगण को नाहक परेशान किया जा रहा है तथा विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा कर उन्हें कृषि ट्यूबवेल नहीं करने दिया जा रहा है। विप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के रेकर्ड खातेदार होने से उपयोग व उपभोग करने के अधिकारी है जबकि प्रार्थीगण द्वारा लिये गये एकपक्षीय स्थगन से कृषि ट्यूबवेल प्रभावित हो रहा है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण की भूमि पर अवैध कब्जा करने से विप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है तथा अपनी खातेदारी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित पेश होने तथा मात्र विप्रार्थीगण को नाहक परेशान करने की नियत से पेश किया हुआ होने से खारिज फरमाया जावे तथा पूर्व में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को समाप्त किया जावें।

उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकर्ड खातेदार होने तथा काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में विप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा भी जारी करवाई हुई है। चूंकि उक्त निषेधाज्ञा से यदि विप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त प्रभावित होता है तो इससे विप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। विप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का उपयोग व उपभोग करने के विधिक अधिकारी है तथा विप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में ट्यूबवेल आदि करवाने से रोका जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थना पत्र को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मतुओं की ढाणी, तह०- शिव के खसरा नम्बर 111/26 रकबा 6.4426 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा तक दखलदारी नहीं करने तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का स्थगन तार्फेसला वाद जारी किया जाकर कलमबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के संलग्न हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	